



(कर प्रकरण सं 91/2024)

2025: सीजीएचसी:16667-डीबी

1

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं 91/2024

{आयकर अपीलीय अधिकरण, रायपुर बेंच, रायपुर द्वारा आईटीए क्रमांक 2/आरपीआर/2023 में पारित
दिनांक 14-12-2023 के आदेश से उत्पन्न}

छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, एसएलडीसी बिल्डिंग, सीएसईबी कार्यालय,
रायपुर (छ.ग.) पैन:एएडीसीसी5773 ई



---अपीलकर्ता

बनाम

डीसीआईटी सर्कल-1 (1), रायपुर, छ.ग.

--- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री अपूर्व गोयल तथा श्री निखिलेश बेगनी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री अमित कुमारानी, अधिवक्ता की ओर से श्री अजय चौधरी, अधिवक्ता।

युगल पीठ :--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश



(09/04/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 260 ए के तहत प्रस्तुत यह कर अपील निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न तैयार करके दिनांक 1-5-2024 को सुनवाई के लिए स्वीकार की गई:---

“क्या आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण को देखते हुए, जिसे फीडिंग त्रुटि कहा गया है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाना उचित था?”

2. यहां करदाता/अपीलकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत बनाई गई है। अपीलकर्ता कंपनी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617, जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) है, के प्रावधानों के तहत एक 'सरकारी कंपनी' का दर्जा रखती है। अपीलकर्ता कंपनी/करदाता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अपने वोल्टेज पावर सब-स्टेशनों (132 केवी और अधिक) और ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन सेवाएं प्रदान करने/प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। 29-11-2016 को अपीलकर्ता ने कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल आय शून्य {14.64 करोड़ (लगभग) की अनवशोषित हानि को समायोजित करने के बाद} घोषित की गई। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' (एमएटी) में निहित प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा घोषित लाभ 26.90 करोड़ रुपये (लगभग) था। 1-12-2016 को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सीएंडएजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षा पूरी की गई, जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर कर से पहले शुद्ध लाभ ₹ 3574.90 लाख प्रमाणित किया गया। लेखा परीक्षक द्वारा पूर्ण किया गया कर लेखा परीक्षण तथा आयकर अधिनियम की धारा 44 एबी के तहत फॉर्म संख्या 3 सीए/3 सीडी में कर लेखा परीक्षण रिपोर्ट 15-12-2016 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई, जिसमें लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर कर से पूर्व शुद्ध लाभ 3574.90 लाख रुपये बताया गया। 26-3-2018 को, अपीलकर्ता द्वारा फॉर्म संख्या 3 सीए/3 सीडी में कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया गया। अपीलकर्ता ने कुल आय शून्य {93.48 करोड़ (लगभग) के अनवशोषित घाटे को समायोजित करने के बाद} घोषित की। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' (एमएटी) के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा घोषित लाभ ₹ 26.90 करोड़ (लगभग) तक था। अंततः दिनांक 9-8-2018 को सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-4(1), रायपुर अर्थात् कर निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के अंतर्गत अनिवार्य नोटिस जारी कर अपीलार्थी करदाता के प्रकरण को संवीक्षा कर निर्धारण हेतु



चयनित किया गया तथा तदनुसार वैधानिक नोटिस जारी किया गया। 23-10-2019 को अपीलकर्ता ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एओ द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दाखिल किया। अंततः, 22-11-2019 को, मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता ने दिनांक 5-11-2019 के उत्तर के माध्यम से (जो 22-11-2019 को एओ को हाथ से दिया गया और 21-11-2019 को मेल द्वारा भेजा गया), अपनी इच्छा से, एओ को धारा 115 जेबी के तहत एमएटी की गणना के प्रयोजनों के लिए बुक प्रॉफिट के आंकड़ों में अंतर के बारे में सूचित किया, जिसे रु 35,74,90,033/- के बजाय रु 26,89,97,367/- घोषित किया गया (कुल अंतर रु 8,84,92,666/-) और इसे दाखिल रिटर्न में अनजाने में डेटा फीडिंग की त्रुटियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालाँकि, दिनांक 6-12-2019 के उत्तर के अनुसार, अपनी इच्छा से, अपीलकर्ता/करदाता ने एओ को व्यावसायिक आय की गणना करते समय ग्रेच्युटी के प्रावधान को अस्वीकार नहीं करने के बारे में सूचित करते हुए सबमिशन वापस कर दिया और तदनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत एमएटी की गणना के प्रयोजनों के लिए पुस्तक लाभ के सही आंकड़ों के साथ संशोधित आयकर रिटर्न फॉर्म के साथ कुल आय की संशोधित गणना प्रदान की। अंततः, मूल्यांकन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14-12-2019 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश पारित किया और अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार करते हुए पुस्तक लाभ के संशोधित आंकड़ों को अनुमति दी, लेकिन उनका (एओ) मानना था कि अपीलकर्ता ने सही और सच्चा खुलासा नहीं किया है और इसलिए आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई, जिसका अपीलकर्ता ने खंडन किया और यह कहते हुए प्रतिक्रिया दायर की कि आयकर रिटर्न में अनजाने में डेटा फीडिंग की गलती के कारण पुस्तक लाभ के आंकड़े में भिन्नता हुई है, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही को समाप्त किया जाए।

3. दिनांक 29-1-2022 के आदेश द्वारा, एओ ने आईटी अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत अपीलकर्ता पर ₹ 2,72,92,117/- का जुर्माना लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इस तरह कर से बचने की कोशिश की है। दिनांक 29-1-2022 के जुर्माना लगाने वाले आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत सीआईटी (अपील) के समक्ष फॉर्म संख्या 35 में अपील दायर की, जिसमें जुर्माने के आदेश पर सवाल उठाया गया कि यह एक वास्तविक गलती थी और इसका खुलासा पहले ही दिनांक 5-11-2019 के उत्तर में किया जा चुका है, जो 22-11-2019 को दिया गया, और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पहले ही आयकर अधिनियम की धारा 44 एबी के तहत 15-12-2016 को आयोजित फॉर्म संख्या 3 सीए/3 सीडी में दायर की जा चुकी है और बाद में 26-3-2018 को कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संशोधित आयकर रिटर्न में दायर की गई है, और इसलिए जुर्माना आदेश को अपास्त किया जाए।



4. सीआईटी (अपील) ने दिनांक 15-11-2022 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता की अपील को गुण-दोष के आधार पर स्वीकार कर लिया, जिससे 8,84,92,855/- ₹ की अतिरिक्त राशि के विरुद्ध लगाया गया जुर्माना अपास्त कर दिया गया और कहा गया कि बुक प्रॉफिट के आंकड़ों में बेमेल फीडिंग गलती और डेटा ट्रांसमिशन त्रुटि का मामला था और इसलिए सरकारी इकाई होने के नाते अपीलकर्ता की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण आशय नहीं था।

5. दिनांक 15-11-2022 के आदेश पर सवाल उठाते हुए, राजस्व ने आयकर अधिनियम की धारा 253 के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील दायर की और अपीलकर्ता द्वारा प्रति-आपत्ति भी पेश की गई, हालांकि, अंततः, आक्षेपित आदेश द्वारा, राजस्व की अपील को स्वीकार करते हुए आईटीएटी ने सीआईटी (अपील) द्वारा पारित दिनांक 15-11-2022 के आदेश को अपास्त कर दिया है, जिसमें पुस्तक लाभ में 8.84 करोड़ रुपये (लगभग) की सीमा तक भिन्नता के कारण दिनांक 29-1-2022 के जुर्माने के आदेश को बहाल किया गया है, जिसे अपीलकर्ता/करदाता ने वर्तमान अपील के माध्यम से प्रश्न में उठाया है।

6. अपीलकर्ता/करदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निखिलेश बेगानी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने पहले ही आयकर अधिनियम की धारा 44 एबी के तहत फॉर्म संख्या 3 सीए/3 सीडी में कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कर से पहले शुद्ध लाभ 3574.90 लाख रुपये बताया गया था, वह भी 9-8-2018 को मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने से पहले और आगे, 22-11-2019 को प्रस्तुत करते समय 6-12-2019 को इसे दोहराया गया, इस प्रकार, अपीलकर्ता की ओर से सद्भावनापूर्ण कार्य था और यह केवल डेटा फीडिंग की गलती है, इसलिए, यह आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) की शरारत के अंतर्गत नहीं आएगा और इस प्रकार, आईटीएटी के आदेश को अलग रखा जाना चाहिए और सीआईटी (अपील) के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कोलकाता-□ और अन्य 1, आयकर आयुक्त, अहमदाबाद बनाम रिलायंस पेट्रोप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2 और श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य 3 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया है। 7. प्रतिवादी/राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमरानी ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि आयकर अपीलकर्ता/करदाता पर लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखने में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का पूर्णतया न्यायसंगत है, जबकि अपीलकर्ता ने निष्पक्ष तथा स्पष्ट रूप से यह खुलासा नहीं किया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत सही ढंग से जुर्माना लगाया है, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।



8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. न्यायालय में उठाये गये तर्क पर विचार करने के लिए, आईटी अधिनियम की धारा 271(1)(सी) पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:---

"271.रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता, नोटिस का अनुपालन, आय को छिपाना, आदि। - (1) यदि इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के दौरान मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त (अपील) को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

* * *

(ग) अपनी आय का विवरण छिपाया है या ऐसी आय का त्रुटिपूर्ण विवरण दिया है।"

10. उपर्युक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(ग) के अंतर्गत आने के लिए करदाता की आय का विवरण छिपाया जाना चाहिए या दूसरे, करदाता ने अपनी आय का त्रुटिपूर्ण विवरण दिया होगा।दोनों तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यदि करदाता ने अपनी आय का विवरण छुपाया है या ऐसी आय का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत दंडात्मक प्रावधान धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना लगाने के लिए आकर्षित होगा।

11.प्राइस वाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आई, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 44 एबी के अंतर्गत की गई कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रिटर्न के साथ दाखिल किया गया था और इस आधार पर, उनके माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक न्यायालय कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की विषय-वस्तु से पता चलता है कि करदाता द्वारा अपनी आय छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, करदाता द्वारा कोई गलत विवरण प्रस्तुत करने का भी कोई प्रश्न ही नहीं है।जुर्माना लगाने के आदेश को अपास्त करते हुए विद्वान न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के कंडिका 13,14 तथा 15 में विशेष रूप से निम्नलिखित रूप में देखा है:---

"13. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मामले के तथ्य अजीबोगरीब और कुछ हद तक अद्वितीय हैं।निःसंदेह करदाता एक प्रतिष्ठित फर्म है और उसके पास बहुत अच्छी विशेषज्ञता उपलब्ध है।इसके बावजूद, यह संभव है कि करदाता भी कोई "मूर्खतापूर्ण" त्रुटि कर सकता है और वास्तव में इसे न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकार किया है।

14. यह तथ्य कि कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट रिटर्न के साथ दाखिल की गई थी और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिनियम की धारा 40-ए (7) के तहत भुगतान का प्रावधान स्वीकार्य नहीं था, यह दर्शाता है कि



करदाता ने अपनी आय के रिटर्न में गणना त्रुटि की है। इस तथ्य के अलावा कि करदाता ने त्रुटि को नोटिस नहीं किया, यह कर निर्धारण आदेश तैयार करने वाले कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी नोटिस नहीं किया गया था। इस अर्थ में, कर निर्धारण अधिकारी ने भी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की सामग्री को अनदेखा करके त्रुटि की है।

15. कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की विषय-वस्तु से पता चलता है कि करदाता द्वारा अपनी आय छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। करदाता द्वारा कोई गलत विवरण प्रस्तुत करने का भी कोई सवाल ही नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में जो कुछ भी हुआ है, वह यह है कि करदाता ने अपनी रिटर्न दाखिल करते समय एक वास्तविक और अनजाने में की गई गलती के कारण अपनी कुल आय में ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान जोड़ने में चूक की है। इसे केवल एक मानवीय भूल ही कहा जा सकता है, जो हम सभी करते हैं। करदाता की योग्यता और विशेषज्ञता का अनजाने में हुई गलती से कोई लेना-देना नहीं है। इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि करदाता को सावधान रहना चाहिए था, लेकिन वर्तमान मामले जैसे मामले में उचित सावधानी न बरतने का मतलब यह नहीं है कि करदाता गलत विवरण देने या अपनी आय छिपाने का दोषी है।"

12. इसी प्रकार, रिलायंस पेट्रोप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) पर विचार किया है और धारा 271(1)(सी) में प्रयुक्त शब्द "विवरण" और "गलत विवरण" पर भी विचार किया है तथा निम्नानुसार निर्णय दिया है:---

"10. लॉ लेक्सिकन के अनुसार, "विशेष" शब्द का अर्थ है विवरण या ब्यौरा (बहुवचन अर्थ में); दावे का विवरण, या खाते की अलग-अलग मदें। इसलिए, धारा 271(1)(सी) में प्रयुक्त शब्द "विवरण" दावे के विवरण के अर्थ को समाहित करेगा।....."

* * *

13. यह बताया गया कि "त्रुटिपूर्ण विवरण" शब्द को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, यह माना गया कि संपत्ति के मूल्य का आकलन प्रस्तुत करना अपने आप में त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना नहीं हो सकता है।

* * *

17. वर्तमान मामले में हमारा मन्स रीआ से कोई सरोकार नहीं है। हालाँकि, हमें केवल यह देखना है कि क्या इस मामले में, वास्तव में, करदाता ने गलत विवरण दिया है। वेबस्टर डिक्शनरी में, "गलत" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"सटीक नहीं, सटीक या सही नहीं; सत्य के अनुसार नहीं; त्रुटिपूर्ण; एक गलत कथन, प्रतिलिपि या प्रतिलेख के रूप में।"



हम इस निर्णय के पिछले भाग में "विवरण" शब्द का अर्थ देख चुके हैं। शब्दों को एक साथ पढ़ने पर, उनका अर्थ रिटर्न में दिए गए विवरण से होना चाहिए, जो सटीक नहीं है, सटीक या सही नहीं है, सत्य के अनुसार नहीं है या त्रुटिपूर्ण है।"

इसके अलावा, उनके माननीय विद्वान न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है कि करदाता द्वारा रिटर्न में दिया गया कोई विवरण गलत या त्रुटिपूर्ण या झूठा पाया गया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) लागू नहीं होगी और निम्नानुसार टिप्पणी की गई:---

"18. हमें यहां यह जोड़ना होगा कि इस मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि करदाता द्वारा अपने रिटर्न में दिया गया कोई भी विवरण गलत या त्रुटिपूर्ण या झूठा पाया गया हो। ऐसा न होने पर, अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठता। केवल दावा करना, जो विधि में मान्य योग्य लायक नहीं है, अपने आप में करदाता की आय के बारे में गलत विवरण प्रस्तुत करने के बराबर नहीं होगा। रिटर्न में किया गया ऐसा दावा गलत विवरण नहीं हो सकता है।

20. हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि करदाता ने अपने रिटर्न में अपने खर्च के साथ-साथ आय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया था, जो विवरण अपने आप में गलत नहीं पाए गए और न ही इसे उसकी ओर से आय छिपाने के रूप में देखा जा सकता है। यह अधिकारियों पर निर्भर था कि वे रिटर्न में उसके दावे को स्वीकार करें या नहीं। केवल इसलिए कि करदाता ने व्यय का दावा किया था, जो दावा स्वीकार नहीं किया गया था या राजस्व को स्वीकार्य नहीं था, वह हमारे विचार में, धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना आकर्षित नहीं करेगा। यदि हम राजस्व के तर्क को स्वीकार करते हैं तो प्रत्येक रिटर्न के मामले में जहां किया गया दावा किसी भी कारण से मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, करदाता धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाएगा। यह स्पष्ट रूप से विधायिका का आशय नहीं है।"

13. अंत में, श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स (सुप्रा) में, जहां तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ प्राधिकारियों ने पाया था कि रिटर्न में कुछ गलत विवरण दिए गए थे, तथापि, उक्त लेनदेन करदाता के खातों में दर्शाए गए थे, और निम्नानुसार टिप्पणी की गई:---

"7. जहां तक जुर्माने का सवाल है, जो मर्चेंट टर्नओवर में शामिल नहीं थीं, वे अपीलकर्ता की खाता बही में शामिल पाई गईं। जहां कुछ मर्चेंट

जो टर्नओवर में शामिल नहीं हैं, डीलर की अपनी खाता बही में बताई गई हैं और मूल्यांकन अधिकारी इन मर्चेंटों को डीलर के टर्नओवर में शामिल करते हैं, वहां छूट की अनुमति न देते हुए जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। लगाया गया जुर्माना अपास्त हो जाता है।"



14. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, मूल्यांकनकर्ता ने आयकर विभाग के पोर्टल पर आयकर अधिनियम की धारा 44BB के तहत आयोजित फॉर्म संख्या 3BB/3BB में कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर कर से पहले शुद्ध लाभ 3574.90 लाख रुपये बताया गया है और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी 26-3-2018 को आयकर रिटर्न के साथ मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई थी, यानी 9-8-2018 को जांच मूल्यांकन के लिए अपीलकर्ता के मामले के चयन से पहले और आगे मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, 22-11-2019 को, मूल्यांकनकर्ता ने अपनी इच्छा से, आयकर अधिनियम की धारा 115BB के तहत एमएटी की गणना के प्रयोजनों के लिए पुस्तक लाभ के आंकड़ों में अंतर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, जिसे रु 35,74,90,033/- के स्थान पर रु 26,89,97,367/- (कुल अंतर रु 8,84,92,666/-) दर्ज किया गया, जिसका कारण दाखिल रिटर्न में अनजाने में हुई डेटा फीडिंग की गलतियाँ बताई गईं और 6-12-2019 को वही तर्क दोहराया गया। इस प्रकार, सही बुक प्रॉफिट न केवल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया था, बल्कि इसे आयकर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किया गया था और मामले की जांच मूल्यांकन के लिए शुरू होने से बहुत पहले मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष दायर किया गया था और 22-11-2019 को प्रस्तुत करते समय इसकी रिपोर्ट भी की गई थी और 6-12-2019 को भी दोहराया गया था, इसलिए, हमारी राय में, यह एक ऐसा मामला है जहां मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष मूल्यांकनकर्ता ने रिटर्न और संशोधित रिटर्न जमा करते समय हुई त्रुटि को ठीक किया, वह भी जांच मूल्यांकन कार्यवाही शुरू होने से पहले। यहां तक कि यह राजस्व का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता/करदाता ने आय छिपाई है। एक बार जब आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आयोजित कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल कर दी गई और इसे आयकर पोर्टल पर आयकर रिटर्न के साथ अपलोड कर दिया गया, तो यहां अपीलकर्ता/करदाता द्वारा किसी भी गलत विवरण को प्रस्तुत करने और आय को छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए, आयकर आयुक्त (अपील) ने लगाए गए जुर्माने को सही ढंग से हटा दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि बुक प्रॉफिट के आंकड़ों में बेमेल फीडिंग गलती और डेटा ट्रांसमिशन त्रुटि का मामला था और सरकारी इकाई होने के नाते अपीलकर्ता की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण आशय नहीं था। इस प्रकार, सीआईटी (अपील) के आदेश में आईटीएटी द्वारा केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था कि संशोधित रिटर्न में मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष सही आंकड़े नहीं बनाए गए थे। हालांकि, तथ्य यह है कि प्रदान किए गए सही आंकड़े रिटर्न और संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय मूल्यांकन अधिकारी के ध्यान में नहीं लाए गए थे और अंततः 22-11-2019 को, यह अपीलकर्ता/करदाता ही था जिसने एओ को बुक प्रॉफिट के आंकड़ों में अंतर के बारे में सूचित करते हुए रिकॉर्ड पर सही आंकड़े लाए और इसे दाखिल रिटर्न में अनजाने में डेटा फीडिंग की गलतियों के कारण बताया, इसलिए, करदाता का मामला आईटी अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत नहीं आएगा।



15. इस मामले को देखते हुए, हम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं, जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीआईटी) द्वारा पारित आदेश को पलट देता है। तदनुसार, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 14-12-2023 के आदेश को अपास्त किया जाता है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीआईटी) द्वारा पारित दिनांक 15-11-2022 के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है। विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर करदाता के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दिया जाता है।

16. परिणामस्वरूप, कर अपील को अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करना होगा।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



(कर प्रकरण सं 91/2024)

2025: सीजीएचसी:16667-डीबी

*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

